

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

क्रमांक/राजस्व/दावा/87/2021/26.02.2024/3052

दिनांक:-26.02.2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।

विषय:-राजस्व दावा संख्या 87/2021 अनवान महेन्द्र कुमार आदि बनाम
रूपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 88,53,188,92ए,209 आर0टी0ए0
भिजवाने हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक/टीए/निग/2024/531/गंगानगर/14/06
2024 दिनांक 30.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 87/2021
अनवान महेन्द्र कुमार आदि बनाम रूपचंद व अन्य अन्तर्गत धारा 88,53,188,92ए,209
आर0टी0ए0 निर्णय दिनांक 11.01.2024 (प्रा.पत्र आदेश 14 नियम 2(ए व बी) व आदेश 7
नियम 11 सीपीसी निरस्त करने के विरुद्ध) कुल पृष्ठ-103. इस पत्र के संलग्न अग्रिम
आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली

205
29/2/2024

भवदीय



(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़